चाहिए। छात्रवृत्ति की रकम विद्यार्थी के खाते में एक मुश्त जमा होनी चाहिए तथा छात्रों को यह सुविधा मिलनी चाहिए कि एक निश्चित राशि प्रतिमाह वे अपने खाते से निकाल सकें।

11. शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाएँ :— शिक्षकों को जनजातीय जीवन, उनकी सांस्कृति आदि की जानकारी दी जानी चाहिए। कोशिश की जानी चाहिए कि जनजातीय क्षेत्र के स्कूलों के शिक्षक आदिवासी ही हों। दूर पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ हैं जहाँ बाहर वाले सुविधाओं का अभाव है। वहाँ शिक्षकों को रखने के लिए अतिरिक्त लाभ की व्यवस्था की जानी चाहिए।

12. पाठ्यक्रम :— जनजातीय लड़कों को शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने के लिए पाठ्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक, संगठन, धर्म रीति - रिवाज, आदि के विषय में जानकारी दी जानी चाहिए। इसके बाद फिर राष्ट्रीय स्तर के विषयों में भी शिक्षा दी जानी चाहिए।

13. शिक्षा की भाषा :— बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा मातृ भाषा में दी जानी चाहिए। पाठ्यपुस्तकों की रचना जनजातीय भाषाओं में होनी चाहिए।

14. पाठ्यक्रम का स्वरूप :— पाठ्यक्रम शिल्पकला के साथ - साथ श्रम के सम्मान की भावना, सहकारिता तथा सामाजिक अनुसंधान अनुशासन जैसे :- आवश्यक पक्षों पर अधिक बल देने वाला होना चाहिए। खेल - कूद कृषि, नृत्य, शिकार, तिरंदाजी आदि का समावेश उनके पाठ्यक्रम में भी होना चाहिए

Scanned with CamScanner

Date ___/___/______

15. विकास के कामों में आदिवासी युवकों का उपयोग :—

जनजातीयों के बीच शिक्षा के कारण निराशा का जन्म हुआ है जब वे पढ़ने के बाद काम नहीं पाते हैं, तो निराश हो जाते हैं, और गाँवों में अपने आप को बेकार-सा महसूस करते हैं, जिसका बहुत बुरा प्रभाव शिक्षा के प्रसार पर पड़ता है। इसे दूर करने के लिए सेक्सासेना 1983 में अपने एक लेख में सुझाव दिया है उनके अनुसार आदिवासी युवकों का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जाना चाहिए। :—

I. शिक्षकों के रूप में नियुक्ति
II. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में उनकी नियुक्ति
III. ग्रामीण स्तर पर स्वंयसेवक
IV. परिवार कल्याणकार्य उत्प्रेरक के रूप में
V. सामाजिक कल्याण कर्मचारी
VI. सर्वेक्षक के रूप में नियुक्ति
VII. तथ्यों के एकत्र करने वाले के रूप में।

16. प्रौढ़ शिक्षा को रोजगार मुखी बनना :— र

1. सरकारी कार्यक्रम :— शिक्षा की समस्या ~~के~~ के समाधान के लिए स्वंयसेवी संस्थाओं तथा सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं वैसी जनजातियों को शिक्षित करना तो और अधिक कठिन है जिनका कोई स्थाई निवास स्थान नहीं है जो घुमंकड़ जनजातियाँ हैं झूम की खेती तथा शिकार एवं अन्य लघु वन्य पदार्थों पर अपना जीवन-यापन करते हैं। ऐसे जनजातियों को शिक्षित करने से पहले इन्हें स्थाई निवासी बनना होगा। इस प्रकार की जनजातीयों में बिरहोर तथा पहाड़ी खड़िया मुख्य हैं। शिक्षा की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं :—

1. पुनर्वास का कार्य :— झारखण्ड सरकार ने इस राज्य की कुछ आदिवासियों के पुनर्वास की कार्य को अपने हाथ में लिया। खड़िया तथा बिरहोर जनजाति

Scanned with CamScanner

Date __/__/____

को सरकार के द्वारा बसाया जा रहा है तथा उन्हें जमीन भी खेती के लिए दी है। सिंहभूम में प्रत्येक खड़िया परिवार को मकान तथा भूमि दी गई है। राँची जिले में लगभग एक अनेक बिरहोर परिवार को इसी प्रकार बसाया गया है। घुमक्कड़ किस्म की जनजातियों को स्थाई रूप से बसा कर ही इन्हें शिक्षित किया जाता है। शिक्षा की समस्या के निदान की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

II. विभाग की स्थापना :— राज्य स्तर पर आदिवासियों के कल्याण हेतु अलग से एक कल्याण विभाग की स्थापना की गई है इसका एक स्वतंत्र मंत्रालय है।

III. राज्य व राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति :— छोटानागपुर के प्रत्येक जिलों में राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति की गई जिलों के जिलाधीश इन अधिकारियों की सहायता से कल्याण कार्यक्रम बनाते हैं तथा उनका संचालन करते हैं।

IV. निर्देशक समाज :— कल्याण विभाग के मंत्री की सहायता के लिए एक निर्देशक समाज कल्याण की नियुक्ति हुई है जिला स्तर पर जिला कल्याण अधिकारी की नियुक्ति भी की जाती है।

V. थाना कल्याण अधिकारी :— क्षेत्र का कार्य थाना कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाता है।

VI. विभिन्न योजनाएँ :—

1. छात्रवृत्ति वितरण योजना :— इस योजना के अंतर्गत विद्यालय तथा विश्वविद्यालय एवं तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले जनजातीय छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

ii अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक स्तर की छात्रवृत्तियों की योजनाएँ चल रही है।

iii. आवासीय विद्यालय राज्य में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों छात्रों के लिए ४५१ आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं इसमें लगभग ३५५४८ छात्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है कल्याण विभाग द्वारा इन छात्रों के लिए ३१३ छात्रावास चलाए जा रहे है इसमें २५,१०१ छात्रों को रहने की व्यवस्था है।

(ग) iv. चरवाहा विद्यालय :— संयुक्त बिहार में लालू प्रसाद यादव सरकार ने जनजाति या अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए चरवाहा विद्यालय की स्थापना का कार्यक्रम चलाया था। जहाँ लड़के अपने प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए अपने दैनिक कार्य का सम्पादन करते हुए शिक्षा प्राप्त कर सकें। vi बालिका आवासीय उच्च विद्यालय महिलाओं में निरक्षरता को देखते हुए राज्य के ७ जिलों में आवासीय बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना की गई प्रत्येक विद्यालय में २५४ छात्राओं को सरकारी खर्च पर शिक्षा एवं आवास की व्यवस्था उपलब्ध की गई है। छात्राओं के लिए जो किसी भी छात्रावास में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही है उसके लिए छात्रावास अनुदान दर प्रतिमाह १७० रुपया हो गया है।

V. पहाड़ियों हेतु योजना :— पहाड़ियों के बीच शिक्षा के प्रसार के लिए दो शिक्षकों वाले ३० प्राइमरी स्कूल संथाल प्रगणा के पहाड़ी भागों में खोले गए है। यह योजना १९५३-५४ से ही चलाई जा रही है जो सरकार द्वारा एक विशिष्ट योजना है इनके साथ ही साथ इन प्रदेशों में चार लोवर बुनियादी प्रकार के निवास युक्त स्कूल भी खोले गए है।

निवास युक्त स्कूलों की देखभाल शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जाती है इसी प्रकार प्राथमिक स्कूलों की देखभाल संथाल पहाड़िया मण्डल के

Scanned with CamScan

Date ___/___/______

द्वारा की जाती है इसके लिए उसे उसे आर्थिक सहायता दी जाती है।

VI. पुस्तक बैंक योजना :— यह योजना मेडिकल, इन्जीनियरिंग, कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजातियों के ऐसे विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तके उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है जो सरकारी सहायता के बीना शिक्षा के भारी व्यय को उठाने में असंभव था। इस योजना में 5000 रूपये मूल्य की पुस्तकों का एक सेट तीन विद्यार्थियों के लिए होता है। जिसे तीन वर्षों तक काम चलाया जा सकता है।

VII. विदेशों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्तियाँ :— भारत सरकार की यह योजना 1954-55 से चल रही है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के ऐसी प्रतिभाषा में विद्यार्थीयों को उचित शिक्षा और अन्य वस्तुऐं उपलब्ध कराना जिनके पास उच्चतर अध्ययन के लिए विदेश जाने के साधन नही है यह छात्रवृत्ति विशेष रूप से विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी से सम्बन्धित उन विषयों के लिए दी जाती है। जिनके लिए भारत में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध प्रर्याप्त नही है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अलावा ये छात्रवृत्तियाँ सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े कुछ अन्य वर्गों के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भी दी जाती है। जो P.G., P.H.D, Post Directed स्तर की शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए भी छात्रवृत्तियाँ दी जाती है। इस प्रकार की छात्रवृत्तियाँ प्रति-वर्ष अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, खानाबदोश, तथा अर्द्ध खाना-बदोश हेतु क्रमशः 10, 6, 1 तथा 3 संख्या में निश्चित किया गया है।

VIII. बालिकाओं के लिए छात्रावास योजना :— अनुसूचित जनजातियों की माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक योजना

Page No.

Scanned with CamScan

Date —/—/—

चलायी जा रही है उन स्थानों पर जहाँ इस तरह की सुविधा अनुपलब्ध है। वहीं नए हॉस्टेल बनाने के लिए या फिर वर्तमान हॉस्टेलों का विस्तार करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय प्रदान की जाती है।

14. केन्द्रीय योजनाएँ, प्रशिक्षण एवं शिक्षण केन्द्र :— अनुसूचित जनजातियों के लोगों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के उद्देश्य से परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र एवं शिक्षण तथा पथ प्रदर्शन केन्द्र की संख्या बढ़ाई की गई है।

अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों को लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, लोक सेवा आयोग, सहायक ग्रेड, लिपिक ग्रेड आदि की परीक्षाओं में सफलता के लिए प्रशिक्षण हेतु राज्य में तीन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों में प्रशिक्षण आर्थियों को 800 रुपए में प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। जनजातिया कल्याण एवं शोध संस्थान द्वारा भी विभिन्न सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है।

x. सेवाओं और परीक्षापूर्व शिक्षा सुविधाओं में स्थानों का आरक्षण :— अखिल भारतीय स्तरों पर खुली प्रतियोगिता के आधार पर भरे जाने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदों में पाँच प्रतिशत स्थान जनजातियों के लिए सुरक्षित किया गया है। तीसरी तथा चौथी श्रेणी के पदों में 5%. स्थान सुरक्षित किये गए हैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित लाभ प्रदान किये गए हैं।

i. आयु सीमा से 5 वर्ष की छूट

ii. परीक्षा शुल्क में 3/4 की छूट

iii. योग्यता का स्तर निम्न रखा गया है।

iv. वरिष्ठता के आधार पर तथा व्यक्ति की योग्यता होने पर पदोन्नति के मामले में सुरक्षा।

Scanned with CamScan

Date ___/___/_____

v. सीटों की कुल जनसंख्या का 5% सीटें अनुसूचित जन-जातियों के लिए सुरक्षित रखा गया है।

vi. जहाँ पर प्रवेश का आधार एक निश्चित प्रतिशत अंको वहाँ इस वर्ग के लोगों को 5% अंक का छूट दिया जा सकता है।

vii. आयु की सीमा में तीन वर्ष की छूट।

Stop

Scanned with CamScan